न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 21/2023 बउनवानी मधुसुदन शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर पुत्र श्री प्रभूलाल शर्मा निवासी 6 राजबिहार कॉलोनी, कन्या महाविद्यालय के पास दशहरा मैदान,स0मा0

GCMS No-2023/41

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
13.6.2023	दिनांक 17.4.2023 से 12.6.2023 तक मंत्रालायिक कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश होने के कारण पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 16.2.2023 लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः—

1. वर्ष 16.11.2011 से 31.12.2022 तक पी.एल. स्वीकृति कार्मिक मधुसुदन शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी की प्रमाणित छायाप्रति ।
2. वर्ष 1 जनवरी 2015 से 31 दिसम्बर 2022 तक जी.ए.एड स्टॉफ द्वारा ली गयी आकस्मिक अवकाश व मेडिकल अवकाश प्रार्थना पत्र की सम्पूर्ण प्र0प्रति।
3. वर्ष 1 जनवरी 2015 से 31 दिसम्बर 2022 तक जीएडी स्टॉफ उपस्थिति पंजिका की प्रमाणित प्रति। वर्षवार

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये जवाब नोटिस क्रमांक आरटीआई/2023/135 दिनांक 10.4.2023 से अवगत करवाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 16.2.2023 मे बिन्दु संख्या 1 की सूचना अपीलान्ट को नियत समयावधि में उपलब्ध करवायी जा चुकी है शेष बिन्दु संख्या 2 से 3 की सूचना समस्त जीएड स्टॉफ से संबंधित होने के कारण तृतीय पक्ष की सूचना की श्रेणी मे आती है। इसलिए अपीलान्ट को उक्त दोनो बिन्दुओं की सूचना दिया जाना सम्भव नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 16.2.2023 के बिन्दु संख्या 1 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना तृतीय पक्ष की श्रेणी मे होने के कारण दिया जाना आवश्यक नही है किन्तु बिन्दु संख्या 3 मे चाही गयी सूचना (जनवरी,2015 से 31.12.2022 तक की उपस्थिति पंजिका) में स्वंय अपीलान्ट का भी नाम दर्ज है इसलिए उक्त बिन्दु की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना उचित समझता हूँ। अतः बिन्दु संख्या 3 की सूचना अपीलान्ट को 15 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवाये जाने हेतु लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:37:28 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर